न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :–94 / 2018

उनवान

1. रामदेव पुत्र बाबूडा जाति भांबी निवासी भटियानी

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. हरजी पुत्र घासी जाति भांबी निवासी भटियानी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 31.8.21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 662 किंता 6 रकबा 1.97 व खाता संख्या 659 / 640 किंता 2 रकबा 1.58 ग्राम भटियानी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहकाश्तकारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का आज दिनांक तक बंटवारा नहीं हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया। व वादग्रस्त आराजियात का अन्यत्र बय,बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया। राज0 पेरोकार ने जवाब पेश नहीं कर जाहिर किया की वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

प्रकरण में वाद के समर्थन में वाद का खण्डन नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधिवता वादी ने वाद पत्र के समर्थन [illegible] 9/78, 2073–2076 दस्तावेज प्रस्तुत किये।

वकील वादी एवं प्रतिवादी ने साक्ष्य [illegible] हीं कर सीधे [illegible] हस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। [illegible] अधिवक्ता वादीगण [illegible] पर मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:42:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वादी द्वारा ग्राम भटियानी के खाता संख्या 662 खसरा नम्बर 2773, 2774, 3053, 3054, 3055, 3056 रकबा 0.30, 0.41, 0.04, 0.60, 0.02, 0.60 व खाता संख्या 659/640 खसरा नम्बर 3057, 3058 रकबा 0.08, 1.50 हैक्टर की वर्तमान जमाबन्दी पेश की है जिसमें हरजी वल्द धीसा रामदेव वल्द बाबूडा कौम भांबी के नाम दर्ज है। आराजी मुतनजा वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। प्रतिवादीगण कोई आपत्ती हो तो विभाजन प्रस्ताव के समय पेश कर सकते है। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम भटियानी के खाता संख्या 662 खसरा नम्बर 2773, 2774, 3053, 3054, 3055, 3056 रकबा 0.30, 0.41, 0.04, 0.60, 0.02, 0.60 व खाता संख्या 659/640 खसरा नम्बर 3057, 3058 रकबा 0.08, 1.50 हैक्टर की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। **तहसीलदार नसीराबाद** उक्तानुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.8.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:42:13 IST
Reason: SelfAttested